न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 35/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–प्रताप देवी पत्नि मोहन लाल तेली नि0 देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीया

बनाम

2–झमकु देवी पत्नि रामलाल तेली नि0 देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 09.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया की आराजी नम्बर 255 रकबा 0.32 हे0, 256 रकबा 0.25 हे0, 257 रकबा 0.08 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि स्थित है। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 मय नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजी के चारो तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। बिनाय प्रार्थना पत्र 08.05.2018 से उत्पन्न होकर जारी है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीया के पड़ौसी होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 09.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीया एवं विपक्षीया उपस्थित है। विपक्षी द्वारा पत्थरगढी किये जाने बाबत् आपति नही दर्शाई है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया की आराजी नम्बर 255 रकबा 0.32 हे0, 256 रकबा 0.25 हे0, 257 रकबा 0.08 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि स्थित है। , उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की

कमिश्नर फीस 300/— अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा